

Comp. No.:629708

ई-मेल द्वारा प्रेषित

पत्र संख्या- /ईट-भट्टा निरीक्षण -एस 0 ओ 0 पी0 / एस०टी०एफ०,मु0/2025-26/राज्य
कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(एस 0 टी0 एफ 0 अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक:

अक्टूबर , 2025

अपरआयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर, जोन- नोएडा,

समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर,

एवं समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0 अनु0 शा0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 06.10.2025 की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा मीटिंग मिनट्स के बिंदु संख्या-18 में निर्देश दिये गये हैं कि 'ईट भट्टों के राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु सीजन में प्रत्येक माह सर्वेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये तथा इस हेतु आवश्यक मॉड्यूल विकसित किया जाये।' उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का उपयोग करते हुए ईट भट्टों के निरीक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में ईट-भट्टों द्वारा बिक्री की गयी ईटों पर बड़ा कर राजस्व निहित है। अतः ईट-भट्टा सीजन में प्रत्येक ईट-भट्टे की फुकाई प्रारम्भ होने से पहले तैयार ईट एवं कोयले सहित ईंधन के स्टॉक का विवरण तथा प्रत्येक माह में स्टॉक विवरण एवं चिमनी की फुकाई की स्थिति तथा ईंधन के स्टॉक विवरण की जानकारी विधिक रूप से एकत्रित किये जाने पर अधिकतम कर राजस्व प्राप्त हो सकेगा। ईट-भट्टे के निरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य कर मुख्यालय द्वारा SOP तैयार करते हुए, इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुपालनार्थ प्रेषित की जा रही है।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by

DHANANJAY SHUKLA

Date: 13-10-2025

(धननजय शुकला)

I.A.S.

अपर आयुक्त, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि-समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) / (वि0 अनु0 शा0) राज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
MANOJ KUMAR VISHWAKARMA
Date: 13-10-2025 14:30:23

(मनोज कुमार विश्वकर्मा)

संयुक्त आयुक्त (एस 0 टी0 एफ 0) राज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।

ईंट भट्टा डीलर्स के स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु दिशा निर्देश

ईंट भट्टों से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति समय से सुनिश्चित कराने हेतु ईंट-भट्टा करदाताओं के व्यापार स्थल का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ताकि ईंट-भट्टा फुकाई सीजन से पूर्व, आरम्भिक तैयार माल का स्टॉक तथा ईंधन के रूप में उपलब्ध कोयले अथवा अन्य ईंधन का स्टॉक एवं फुकाई सीजन में खरीदे गये कोयला सहित अन्य ईंधन का स्टॉक, तैयार की गयी समस्त प्रकार की ईंट का निरीक्षण एवं सत्यापन किया जा सके। इस निरीक्षण/सत्यापन की कार्यवाही हेतु उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदान की गयी शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नवत है-

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-71 (Access to business premises) के प्रावधान निम्नवत् है -

71. Access to business premises.---(1) Any officer under this Act, authorised by the proper officer not below the rank of Joint Commissioner, shall have access to any place of business of a registered person to inspect books of account, documents, computers, computer programs, computer software whether installed in a computer or otherwise **and such other things as he may require and which may be available at such place, for the purposes of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue.**

(2) Every person in charge of place referred to in sub-section (1) shall, on demand, make available to the officer authorised under sub-section (1) or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or chartered accountant nominated under section 66—

- (i) such records as prepared or maintained by the registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed;
- (ii) trial balance or its equivalent;
- (iii) statements of annual financial accounts, duly audited, wherever required;
- (iv) cost audit report, if any, under section 148 of the Companies Act, 2013(18 of 2013);
- (v) the income-tax audit report, if any, under section 44AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and
- (vi) any other relevant record,

for the scrutiny by the officer or audit party or the chartered accountant or cost accountant within a period not exceeding fifteen working days from the day when such demand is made, or such further period as may be allowed by the said officer or the audit party or the chartered accountant or cost accountant.

- ❖ उपरोक्त धारा-71 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रत्येक जोन में रेंज स्तर पर तैनात संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) /(वि० अनु० शा०) राज्य कर द्वारा सम्बंधित खण्ड में तैनात अधिकारियों /वि० अनु० शा० में तैनात अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में स्थित ईंट-भट्ठा व्यापारियों के स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु अधिकृत करते हुए, आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
- ❖ कृत कार्यवाही का विवरण इस हेतु तैयार की गयी MIS में नियमित रूप से फीड किया जाना अपेक्षित है।